

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 87/2024

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2024/366

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थी:-

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी  
पाली

1. अशोक अरोड़ा पुत्र चन्दनमल अरोड़ा  
निवासी 4, रेलवे स्टेशन रोड, बांगड  
धर्मशाला के बाहर, पाली (हाल  
प्रोपराईटर) फर्म मैसर्स जय श्री कृष्णा  
रेस्टोरेन्ट एण्ड भोजनालय रेलवे  
स्टेशन रोड पाली

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955”  
उपस्थित :-

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक:- 19/02/2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश, 2000 के क्लॉज 3ए,सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा 01 सिलेण्डर को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 08.11.2024 को मन प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह श्री जितेन्द्रसिंह आशिया संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलिंग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान अप्रार्थी की फर्म मैसर्स जय श्री कृष्णा रेस्टोरेन्ट एण्ड भोजनालय, रेलवे स्टेशन रोड पर पहुंचे। मौके पर अशोक अरोड़ा पुत्र चन्दनमल अरोड़ा उपस्थित मिले, जिन्होंने खुद को प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान गौरव अरोड़ा पुत्र गिरधर गोपाल, निवासी रेलवे स्टेशन रोड, पाली की उपस्थिति में प्रतिष्ठान में जांच के दौरान 01 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा) एचपी कम्पनी का पाया गया तथा मौके पर दो बर्नर वाले चूल्हें पर खाना बनाया जा रहा था, जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी से मौके पर प्राप्त गैस सिलेण्डर से सम्बन्धी आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, न ही संतोष जनक जवाब दिया। जिस पर गैस सिलेण्डर के अवैध



रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने पर गैस सिलेण्डर का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स बी. के. एन्टरप्राइजेज, पाली के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिंग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी-1 के अनुसार स्थिति पाई गई :-

## सारणी-1

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	(वजन Kg.मे)				
			सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	16.200	15.500	0.500	651806 S
दो बर्नर वाला चूल्हा मय रेगूलेटर नली							

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी-1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु कैलाशचन्द्र पुत्र जगदीश, निवासी सर्वोदय नगर, पाली शहर हाल मैनेजर बी. के. एन्टरप्राइजेज, पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) एचपी कम्पनी एवं दो बर्नर वाला चूल्हा मय रेगूलेट नली को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

हमने प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म मैसर्स जय श्री कृष्णा रेस्टोरेन्ट एण्ड भोजनालय, रेलवे स्टेशन रोड पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान गौरव अरोड़ा पुत्र गिरधर गोपाल, निवासी रेलवे स्टेशन रोड, पाली की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में 01 एचपी कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया तथा मौके पर भट्टी से खाद्य सामग्री निर्माण की जा रही थी अर्थात् अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौकाफर्द के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हो रहा था, जिस पर प्रार्थी




अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

द्वारा उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं गैस सिलेण्डर कब्जे में लेकर मैसर्स बी. के. एन्टरप्राइजेज, पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के तहत की है। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी-1 में वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 01 गैस सिलेण्डरों को मय गैस राज्यसात (Confiscate) किया जाता है एवं जब्त दो बर्नर वाला चूल्हा मय रेगूलेटर नली को अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डर को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 86(8)खा.ले./नीति/6ए/2020 जयपुर दिनांक 19.08.2000 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ. बजरंग सिंह)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली  
अति. जिला कलक्टर, पाली